



भारत सरकार  
(वित्त मंत्रालय)  
कार्यालय आयकर आयुक्त  
13-ए, सुभाष रोड, देहरादून

सेवा में,

आसरा ट्रस्ट,  
119/1, वसन्त विहार,  
देहरादून

**विषय : आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अधीन कर मुक्ति प्रमाण पत्र।**

उपर्युक्त विषय पर आपकी याचिका जो कि इस कार्यालय में 17.02.2011 को प्राप्त हुई के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है आसरा ट्रस्ट, 119/1, वसन्त विहार, देहरादून को दिया गया संदान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में कर मुक्ति के लिए दिनांक 17.02.2011 से वैध है।



(डी०पी० सेमवाल)  
आयकर आयुक्त, देहरादून

नोट :-

- 1 दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और दिनांक लिखा होना चाहिए और स्पष्ट रूप से यह भी लिखें कि यह प्रमाण पत्र दिनांक 17.02.2011 से वैध है।
- 2 प्राप्तियों और खर्चों के हिसाब का वार्षिक विवरण आयकर अधिकारी के पास अवश्य प्रस्तुत करें।
- 3 यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में सोसायटी/ट्रस्ट को जारी किये गये इस कर मुक्ति प्रमाण पत्र को कभी भी इस कार्यालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 4 ट्रस्ट/सोसायटी आयकर अधिनियम की सभी धाराओं का पालन करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करेगी कि आयकर अधिनियम में उल्लिखित पूर्त प्रयोजन की परिभाषा का उल्लंघन न हो।

सम संख्या और दिनांक

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त सर्किल-2, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। यदि कोई न्यास/संस्था अपने जन कल्याण उद्देश्य के विपरीत फण्ड का दुरुपयोग करता है तो उसकी सूचना इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
2. अपर आयकर आयुक्त रेंज-2, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. निर्धारिती समिति

(अर्जुन सिंह)  
आयकर अधिकारी (तकनीकी)  
कृते आयकर आयुक्त, देहरादून